


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त के पत्रांक- रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/संशोधन-15/17448 जयपुर दिनांक-17.12.2020 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 12.10.2020 के क्रम में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों के लिए जारी पदस्थापन आदेश में चयनित निम्नांकित कार्मिकों का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पूर्व पद व पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन पद	पदस्थापन ब्लॉक व जिला	पदस्थापन आदेश का क्रमांक व दिनांक, कार्मिक की क्रम संख्या	वि.वि.
1	प्रधान मीणा,	व्याख्याता भूगोल, राउमावि., बिलडिया, प्रतापगढ़	व्याख्याता इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिसेज	मॉडल विद्यालय, देवली, टोंक	शिविरा/माध्य/संस्था-4/सी-8/मॉडल स्कूल-प्रतिनियुक्ति/2018 दिनांक 12.10.2020 व्याख्याता इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिसेज, क.सं.-18	कार्मिक की योग्यता पदस्थापित पद के अनुरूप नहीं होने के कारण पदस्थापन आदेश निरस्त किया जाना है।
2	सम्पत लाल खटीक,	व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि., बिलडिया, प्रतापगढ़	व्याख्याता इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिसेज	मॉडल विद्यालय, रायपुर, भीलवाड़ा	शिविरा/माध्य/संस्था-4/सी-8/मॉडल स्कूल-प्रतिनियुक्ति/2018 दिनांक 12.10.2020 व्याख्याता इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिसेज, क.सं.-28	कार्मिक की योग्यता पदस्थापित पद के अनुरूप नहीं होने के कारण पदस्थापन आदेश निरस्त किया जाना है।
3	धर्म चंद मीणा	व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि., घाटोली, झालावाड़	व्याख्याता इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिसेज	मॉडल विद्यालय, टोडारायसिंह, टोंक	शिविरा/माध्य/संस्था-4/सी-8/मॉडल स्कूल-प्रतिनियुक्ति/2018 दिनांक 12.10.2020 व्याख्याता इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिसेज, क.सं.-15	कार्मिक की योग्यता पदस्थापित पद के अनुरूप नहीं होने के कारण पदस्थापन आदेश निरस्त किया जाना है।


उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि सात (7) दिवस में पूर्व पदस्थापित स्थान पर शालादर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण कर पालना सुनिश्चित करावें।


(सौरभ स्वामी)
 आई.ए.एस.
 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/मॉडल स्कूल-प्रतिनियुक्ति/2018 दिनांक- 30.12.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (गुप-2) विभाग, जयपुर को अनुमोदनार्थ।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति, राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित फत्रादली।


 1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)